प्रारूप –दो

कार्यालय
संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर (छ.ग.)

(एकीकृत शिक्षा परिसर, प्रथम तल, पेंशन बाड़ा, रायपुर)

दूरभाष क्रमांक 0771–4240278, ई–मेल– jdeduraipur@gmail.com

क्रमांक / विभागीय मान्यता / जी–004 / 2020–21 / 844 रायपुर , दिनांक 21/07/20

प्रति,

प्रबंधक / अध्यक्ष,
दी ह्यूमन वेलफेयर फेलोसिप सोसायटी छुरा जिला गरियाबंद (छ.ग.) पं.क. 3746
सेंट जॉन हायर सेकेण्डरी स्कूल छुरा जिला–गरियाबंद(छ.ग.) (माध्यम–अंग्रेजी

विषय :– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम , 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये ,निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2009 के नियम 11 के उप–नियम (4) तथा छत्तीसगढ़ शिक्षा संहिता मे दिये गए प्रावधान के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण–पत्र ।

संदर्भ :– कार्या.जिला शिक्षा अधिकारी गरियाबंद का ज्ञाप क्रमांक / 1224 / अ.शा.मान्यता / 2020–21 दिनांक 10.06.2020

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र की तारीख 19.12.2019 के संदर्भ मे और इस संबंध मे विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण एवं जिला शिक्षा अधिकारी गरियाबंद(छ.ग.) के अनुशंसा उपरांत, मैं सेंट जॉन हायर सेकेण्डरी स्कूल छूरा जिला–गरियाबंद(छ.ग.) विद्यालय का नाम पता सहित) का तारीख 2020–21 से 2021–22 तक 02 वर्षों की अवधि के लिए, कक्षा पहली से कक्षा बारहवी (माध्यम–अंग्रेजी) तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन है :–

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम , 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये ,निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2009 के नियम 11 के उप–नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता होगी । जिसकी शर्ते निम्नानुसार होगी।

1. मान्यता की स्वीकृति विस्तारणीय नही है और उसमे किसी भी रूप मे कक्षा आठवी के पश्चात् मान्यता / संबद्धन करने के लिए कोई बाध्यता विविक्षित नही है ।
2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (परिशिष्ट–एक) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम , 2009 (परिशिष्ट–दो) के उपबन्धो का पालन करेगा।
3. विद्यालय, कक्षा एक मे (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा मे) उस कक्षा मे बच्चो की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–विहीन समूह के बच्चो को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा । परन्तु यह और भी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओ के मामले मे भी इन मानको का अनुपालन किया जायेगा ।
4. पैरा–3 मे निर्दिष्ट बच्चो के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा । ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा ।
5. सोसायटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बच्चे या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नही करेगा ।
6. विद्यालय, किसी बच्चे को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धो का पालन करेगा । विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :–

(एक) प्रवेश दिये गये किसी भी बच्चे को विद्यालय मे उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक , किसी कक्षा मे फेल नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा ।

(दो) किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नही किया जाएगा।

(तीन) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जाएगी।

(चार) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 25 अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा ।

(पांच) अधिनियम के उपबंधो के अनुसार निःशक्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियो को प्रवेश दिया जायेगा ।

(छ.) अध्यापको की भर्ती , अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और भी कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताए नही है 5 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताए अर्जित करेगे।

(सात) अध्यापक, अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यो का पालन करेगे, और

(आठ) अध्यापक, स्वय को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों मे नियोजित नही करेगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा ।

8. विद्यालय, अधिनियम की धारा 19 मे यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमो को बनाये रखेगा । अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाए निम्नानुसार है :–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल –
कुल निर्मित का क्षेत्र –
खेल के मैदान का क्षेत्रफल –
कक्षाओं की संख्या –
प्रधानपाठक–सह–कार्यालय–सह भण्डार के लिए कक्ष –
बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय –
पेयजल सुविधा –
मध्यान्ह भोजन पकाने हेतु रसोई –
बाधारहित पहुँच –
अध्यापन पठन सामग्री/कीडा खेलकूद के उपस्करो/पुस्तकालय की उपलब्धता –

9. विद्यालय परिसरो के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाए नही चलाई जाएगी।

10. विद्यालय भवनो या अन्य संरचनाओ या स्थलो का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा ।

11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. विद्यालय को किसी वैयक्तिक , वैयक्तिक समूह या संघ या किन्ही अन्य व्यक्तियो के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है ।

13. विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा समपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण , नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए ।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड सख्याक है । कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इए सख्याक का उल्लेख करे ।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता संबधी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियो को दूर करने के लिए जारी किए जाए ।

16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए ।

17. संलग्न परिशिष्ट तीन के अनुसार अन्य कोई शर्त ।

(1)छ.ग.माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा निर्धारित पाठ्यकम अनुसार ही विद्यालय मे अध्यापन एव पाठ्यपुस्तके मान्य होगी।

(2) कक्षा आठवी तक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2 (ख) एवं कक्षा नवमी से बारहवी तक छत्तीसगढ शिक्षा संहिता अध्याय 10 नियम 125 मे उल्लेखित शुल्क मान्य होगा ।

(3) कक्षा नवमी से बारहवीं के लिए हाईस्कूल एव हायर सेकेण्डरी परीक्षा हेतु छ.ग.माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर से सम्बद्धता /मान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा।

(4) स्थानांतरण प्रमाण–पत्र (टी.सी.) मे मान्यता का कमांक एव दिनांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे ।

संभागीय संयुक्त संचालक,
शिक्षा संभाग रायपुर(छ.ग.)
रायपुर , दिनांक

कमांक / विभागीय मान्यता / जी–004 / 2020–21 /
प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर (छ.ग.)।
2. जिला शिक्षा अधिकारी जिला–गरियाबंद(छ.ग.) ।
3. विकास खंड शिक्षा अधिकारी, छुरा जिला–गरियाबंद (छ.ग.) ।

को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

संभागीय संयुक्त संचालक,
शिक्षा संभाग रायपुर(छ.ग.)